न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—407/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00407)

1. हरकू देवी पत्नी घीसालाल पुत्री मांगू (फौत)
   1/1 भंवरलाल पुत्र घीसालाल
   1/2 भागचंद पुत्र घीसालाल
   1/3 बंशीधर पुत्र घीसालाल
   समस्त जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों की ढाणी भादरपुरा पोस्ट तेजा का बास तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
   1/4 सरज्ञान देवी पत्नि रधेश्याम पुत्री घीसालाल जाति गुर्जर निवासी आजाद नगर तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. ग्यारसी बेवा मांगू गुर्जर निवासी गाडोता, तहसील मौजमाबाद जिला दूदू।
2. सजना पत्नि गोगाराम पुत्री मांगू जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला दूदू।
3. मन्नी पत्नि नौरतमल पुत्री मांगू जाति गुर्जर निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद जिला दूदू।
4. दीपा उर्फ लाल पत्नी सुवालाल पुत्री मांगू जाति गुर्जर निवासी तहसील मौजमाबाद जिला दूदू।
5. संतोष पत्नि मंगल पुत्री मांगू निवासी उदयपुरिया तहसील दूदू जिला दूदू।
6. देवकरण पुत्र गोगाराम जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला दूदू।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू (जयपुर) द्वारा दिनांक 14.10.2019 राजस्व वाद संख्या 237/2013 में पारित किया गया।

उपस्थितः—

1. श्री, एस0पी0 औझा0, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री, सुमित जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
3. श्री, मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5
4. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 07
5. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 06.12.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 237/2013 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/अपीलांट ने एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 बाबत खातेदारी घोषाण व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादी/रेस्पोडेंट एवं राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दावा व जवाब दावा के आधार पर 8 तनकीयात कायम की गई तथा वादीया एवं प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई। तद्पश्चात प्रतिवादीया की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 एवं एक प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) जा0दी0 प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, (फास्ट ट्रेक) दूदू ने अपने निर्णय दिनांक 26.6.2019 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को खारिज किया गया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) जा0दी0 को स्वीकार कर दस्तावेज को रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश दिए गए। तद्पश्चात दिनांक 9.9. 2019 को वादीया के बहस तथा दिनांक 18.9.2019 को प्रतिवादी की बहस सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली नियत की गई और अंत में निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2019 के द्वारा वादीया/अपीलांट के वाद को खारिज किए जाने के आदेश दिए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 237/2013 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 व 06 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि दावा एवं जवाब दावा के आधार पर न्यायालय द्वारा 8 तनकीयात कायम की गयी लेकिन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय दिनांक 14.10.2019 से स्पष्ट है कि किसी भी तनकी पर अपना कोई निर्णय व डिकी पारित नहीं की इसलिये उक्त निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 5 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। दावा व जवाब दावा के आधार पर जो तनकीयात कायम की गयी अगर उक्त तनकियों को अलग अलग रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया जाता तो वादीया/अपीलान्ट का वाद डिक्री होने योग्य था। तनकी सं0 1 जो कायम की गयी उसमें खतौनी सं0 29 कुल किता 8 रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा बाबत् वादीया के पिता मांगू के नाम दर्ज खातेदारी बाबत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी जिसमें नामांतरकरण संख्या 107 दिनांक 31.10.1974 से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी मांगू पुत्र भैरू के नाम दर्ज थी जो अकेले ग्यारसी बेवा मांगू के नाम दर्ज कर दी गयी जबकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 सभी बराबर–बराबर के अधिकारी थे इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 अकेले ग्यारसी के नाम दर्ज होने से वादीया/अपीलान्ट के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते है अगर उक्त तनकी को प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया जाता तो वाद स्वयं ही डिक्री योग्य था लेकिन उक्त तनकी को जानबूझ कर निर्णित नहीं कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

ग्यारसी को उक्त आराजी उसके पिता अर्थात् वादीया के नाना से प्राप्त होना मानकर उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति होना मानकर वाद को खारिज किया गया। तनकी संख्या 2 बाबत् वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिसमें नामांतरकरण संख्या 47 दिनांक 15.04.1961 जो महादेव पुत्र भागीरथ से मांगू पुत्र भैरू के नाम जरिये बक्शीश के आधार पर पारित किया गया। जिससे उक्त तनकी स्वयं सिद्ध हो जाती है और वादीया का 1/6 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी हो जाती है। उसके बावजूद उक्त तनकी बाबत् अपना कोई निर्णय पारित नहीं कर वाद को खारिज किया गया। तनकी संख्या 3 अनुसार विवादित आराजी नामांतरकरण संख्या 107 दिनांक 31.10.1974 प्रस्तुत हुआ है जो वादीया के पिता मांगू के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ग्यारसी अकेले के नाम पर पारित कर दिया गया जबकि मांगू के फौत होने पर उक्त आराजी में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत विरासतन प्राप्त होता है इसलिये उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित हो जाती है लेकिन जानबूझ कर उक्त तनकी को भी निर्णित नहीं किया गया। तनकी संख्या 4 बाबत् जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 ग्यारसी द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 व 6 तथा दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 5 को जो बयनामें किये गये है वह गलत रूप से है क्योंकि विवादित आराजी में ग्यारसी देवी का केवल 1/6 हिस्सा ही है और उससे अधिक कोई विक्रय पत्र किया जाता है तो वह वादिया/अपीलान्ट के हक के विरुद्ध होकर शून्य है। उक्त बिन्दु को सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू ने आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 26.06.2019 खारिज किया जिसमें स्वयं ने यह माना कि कोई विक्रय पत्र विधि विरूद्ध पंजीबद्ध हुआ है तो न्यायालय दावा कर्ता के हिस्से तक शून्य घोषित कर सकता है। लेकिन अपने अंतिम निर्णय व डिक्री में निर्णय पारित कर वाद को खारिज किया गया। तनकी संख्या 5 अनुसार वादिया अपने 1/6 हिस्से तक प्रतिवादी को पाबन्द करवाने की अधिकारी थी लेकिन उक्त तनकी पर भी कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। तनकी संख्या 6 जो प्रतिवादी के जिम्मे थी जिसमें उन्हें यह सिद्ध करना था कि विवादित आराजी वादी के पिता व चाचा से प्राप्त होकर उसकी स्वअर्जित आराजी है इस बाबत् प्रतिवादी की ओर से केवल खाता सं0 29 ख0न0 262 रकबा 7 बिस्वा बाबत् दस्तावेज प्रस्तुत हुये है तथा खतौनी सं0 30 के ख0न0 264 लगायत 267, 275, 296, 542/1, 544 की आराजी उसको उसके पिता व चाचा से प्राप्त नहीं हुयी है बल्कि वादीया एवं प्रतिवादी सं0 2 लगायत 5 के पिता मांगू व प्रतिवादी सं0 1 के पति मांगू से प्राप्त हुई है जो नामांतरकरण संख्या 107 से स्पष्ट है। तनकी संख्या 7 व 8 प्रतिवादी साबित नहीं कर पाई क्योंकि पत्रावली पर वादीया की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत हुए है उसमें नामांतरकरण संख्या 29 दिनांक 16.3.1961 से उक्त आराजी नन्दा के स्वर्गवास होने पर उसके भाई महादेव के नाम दर्ज की गई है तथा नामांतरकरण संख्या 47 दिनांक 15.4.1961 से उक्त आराजी में से महादेव द्वारा बक्शीश से मांगू पुत्र भैरू के नाम दर्ज की गई है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 237/2013 में पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 ग्यारसी देवी के हक में उसके पिता नन्दा व चाचा महादेव से प्राप्त हुई है इसलिए विवादग्रस्त सम्पति हिन्दू स्त्री की स्वअर्जित एब्सोल्यूट सम्पति है। उक्त आराजी में से विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2000 बहक लाली देवी धर्मपत्नि सुवालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद की सत्यप्रति बाबत विक्रय खसरा नम्बर 542/1 के रकबे की भूमि में से 4 बीघा 02 बिस्वा पश्चिम साईड की व खसरा नम्बर 544 के रकबे की भूमि में से दो बीघा 03 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद व विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2007 बहक संतोष देवी धर्मपत्नि मंगलचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील दूदू व श्रीमति दीपा देवी उर्फ लाली देवी पत्नि सुवालाल जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान भूमि बाबत खाता संख्या 23 के आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.19 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 319 रकबा 1.36 हैक्टेयर बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.34 हैक्टेयर चाही–3, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.61 हैक्टेयर बारानी अव्वल कुल किता 04 रकबा 2.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान का रजिस्टर्ड बैचान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विवादित आराजीया खतौनी संख्या 29 खसरा नम्बर 262 रकबा 07 बिस्वा व खतौनी संख्या 30 के आराजी खसरा नम्बर 264, 267, 275, 296, 542/1, 544 कुल किता 8 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद के बाबत खारिज किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की स्वयं की आराजीयात है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता एवं चाचा से प्राप्त हुई है। सम्पति हिन्दू स्त्री की स्वअर्जित एब्सोल्यूट सम्पति है। अपीलांट का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई सरोकार नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर पूर्णतया विधि अनुसार निर्णय पारित किया है,जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात के मूल खातेदार नंदा एवं महादेव थे जो कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ग्यारसी के पिता एवं चाचा थे और नंदा के एकमात्र पुत्री रेस्पोडेंट संख्या 1 ग्यारसी है जबकि महादेव लाऔलाद फौत हुए थे जिस कारण उनकी संपत्ति जरिए विरासत रेस्पोडेंट संख्या 1 को प्राप्त हुई है। चूंकि उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1 की पैतृक संपत्ति नहीं होकर स्वअर्जित आराजीयात है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या 1 की स्वअर्जित आराजीयात है तो उक्त आराजीयात पर वह किसी को भी विक्रय, दान करने के सारे हक अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 1 में निहित है। उक्त आराजी में से विक्रय पत्र दिनांक 16.06.2000 बहक लाली देवी धर्मपत्नि सुवालाल जाति गुर्जर निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद की सत्यप्रति बाबत विक्रय खसरा नम्बर 542/1 के रकबे की भूमि में से 4 बीघा 02 बिस्वा पश्चिम साईड की व खसरा नम्बर 544 के रकबे की भूमि में से दो बीघा 03 बिस्वा भूमि वाके ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद व विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2007 बहक संतोष देवी धर्मपत्नि मंगलचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील दूदू व श्रीमति दीपा देवी उर्फ लाली देवी पत्नि सुवालाल जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान भूमि बाबत खाता संख्या 23 के आराजी खसरा नम्बर 318 रकबा 0.19 हैक्टेयर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 319 रकबा 1.36 हैक्टेयर बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.34 हैक्टेयर चाही–3, खसरा नम्बर 356 रकबा 0.61 हैक्टेयर बारानी अव्वल कुल किता 04 रकबा 2.50 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान का रजिस्टर्ड बैचान किया गया हैं। जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। किया गया बेचान जरिये पंजीकृत दस्तावेजात है जिसे वादीया द्वारा किसी भी सक्षम न्यायालय में निरस्त करवाने बाबत कोई कार्यवाही पूर्व में नहीं की गई है।

हमारे द्वारा नायब तहसीलदार, मौजमाबाद गाडोता की मौका कमीशनर रिपोर्ट जो दिनांक 15.5.2007 की है जिसमें वर्णित है कि खसरा नम्बर 262, 264, 265, 266, 267, 275, 296 पर खातेदार ग्यारसी बेवा मांगू गुर्जर का ही कब्जा है। खसरा नम्बर 262 एवं 265 में एक पुराना मकान बना हुआ है जिसमें ग्यारसी बेवा मांगू गुर्जर एवं देवकरण पुत्र गोगाराम गुर्जर निवास करता है। तथा खसरा नम्बर 542/1 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 544 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा पर खातेदार देवकरण पुत्र गोगाराम जाति गुर्जर निवासी गाडोता का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 542/1 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा एवं 544 में 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर खातेदार लाली देवी पत्नी सुवालाल गुर्जर निवासी मौजमाबाद का ही कब्जा काश्त है। उक्त मौका रिपोर्ट पर ग्यारसी के अंगूठा निशानी व देवकरण व घीसालाल के हस्ताक्षर है।

विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 29 के खसरा संख्या 262 रकबा 7 बिस्वा खतौनी संख्या 30 के आराजी खसरा नम्बर 264 लगायत 267, 275, 296, 542/1, 544 कुल किता 8 कुल रकबा 35 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गाडोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता नन्दा पुत्र भागीरथ व चाचा महादेव पुत्र भागीरथ से प्राप्त हुई है। विवादग्रस्त आराजी का पर्चा सेटलमेंट संवत 2011 प्रतिवादी के पिता नन्दा पुत्र भागीरथ व चाचा महादेव पुत्र भागीरथ के नाम से आया था व प्रतिवादी संख्या 1 अपने पिता के एकमात्र जायंदा संतान है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का चाचा अविवाहित फौत हो गया था। इसलिए उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार व नामांतकरण संख्या 107 व 118 से उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सही आया है। विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित आराजी है। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति में रेस्पोडेंट संख्या 1 का ही हक व हिस्सा है। विवादित भूमि अपीलांट के ना तो पिता की संपत्ति है ना ही पति की। इस प्रकार अपीलांट का कोई हक व हिस्सा बनना नहीं पाया जाता है। प्रदर्श पी0 5 जमाबंदी में उक्त वादग्रस्त आराजीयात नन्दा एवं महादेव के नाम पर दर्ज है तथा दिनांक 16.03.1961 को नन्दा पुत्र भागीरथ कोम गुर्जर

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

निवासी गाडोता जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता है, उनके स्वर्गवास के बाद उक्त आराजीयात महादेव पुत्र भागीरथ के नाम इन्द्राज किया गया। प्रदर्श पी.6 नामान्तकरण संख्या 47 में महादेव जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के चाचा है। दिनांक 15.01.1961 को महादेव पुत्र भागीरथ कोम गुर्जर ने उक्त भूमि मांगू पुत्र भैरू कोम गुर्जर के नाम मौखिक रूप से बयान कर बक्शीश की गई, जो कि विधि अनुसार नन्दा तथा महादेव की विधिक वारिसान ग्यारसी देवी के नाम की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तथा अपील के साथ भी ऐसा कोई बक्शीशनामा या पंजीकृत दस्तावेज इसके समर्थन में पेश नहीं किया गया। प्रदर्श संख्या पी.5 से यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता एवं चाचा की थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार व नामांतकरण संख्या 107 व 118 से उक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सही आया है तथा दिनांक 15.01.1961 को मौखिक रूप से किये गये बक्शीश के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अपनी पिता एवं चाचा से प्राप्त वादग्रस्त आराजीयात से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अपीलांट द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना ही अपीलीय न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी हों। इसी प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गवाहान से विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त होना एवं उपर्युक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादीया /अपीलांट अपने वाद तथा प्रस्तुत अपील में अपने मौखिक व साक्ष्यिक कथनों को साबित करने में पूर्णतय असफल रही है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के पैरा संख्या 03 में अंकन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी तनकी पर अपना कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं की है इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी के प्रावधानो के विपरीत है किन्तु हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अभिभाषक उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित किया है तथा आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी में स्पष्ट है कि ***'Court to state its decision on each issue - In suits in which issues have been framed, the court shall state its finding or decision, with the reasons therefor, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issue is sufficient for the decision of the suit."***

जहॉ तक प्रक्रियात्मक त्रुटि का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 में स्पष्ट अंकन है कि ***"कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगण या अधिकारिता पर प्रभाव नही पड़ता है न तो उलटी जाएगी और न उपान्तरित की जाएगी।"***

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में उक्त वाद पर स्पष्ट विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा वाद संख्या 237/2013 में

राजस्व अपील प्राधिकारी,

Scanned with CamScanner

पारित आदेश दिनांक 14.10.2019 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

06/12/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner